न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 139/11 निर्णय दिनांकः– 08-02-2024
(जीसीएमएस संख्या 2011/00045)

1. शीलादेवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी गंगाशहर रोड़, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1 बालीदेवी पत्नि शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4/1. पदमा पुत्री बालीदेवी
4/2. तुलसा पुत्री बालीदेवी
4/3. भंवरी पुत्री बालीदेवी
2. हनुमानराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. हुकमाराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 14–10–2011
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री अजय कुमार ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–10–2011 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम देजरासर के खेत खसरा नम्बर 510/70 जिसके नये खसरा नम्बर 104, 105, 108, 699/103, 700/109 तादादी 41 बीघा 16 बिस्वा पैमूद हुए है, उक्त संयुक्त खाते की भूमि में से दक्षिणी पूर्वी हिस्से की तरफ से 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07–04–2006 से क्रय की गई थी, तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलांट् को तत्समय ही सुपुर्द कर दिया गया था। अपीलांट् तभी से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट् अपनी खरीदशुदा भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व अमला द्वारा अपीलांट की खरीदशुदा भूमि की गलत तरमीम किये जाने के कारण उक्त तरमीम दुरूस्ती व आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है तथा वादग्रस्त भूमि पर उसके अधिकार खरीद की दिनांक से ही उत्पन्न हो चुके थे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् वास्तविक स्थिति की किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय यदि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती तो यह स्थिति स्वमेव न्यायालय के समक्ष आ जाती कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा गलत तरमीम के आधार पर अपीलांट् को उसकी खरीदशुदा व कब्जे काश्त की भूमि से खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। विधि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का भी यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य स्थावर सम्पति को लेकर विवाद लम्बित हो, वहॉ उक्त भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षणा की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट् के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से बिना युक्तियुक्त व तर्कसंगत कारण के अपीलांट् के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट् यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भी आदेश जैर अपील एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है। लिहाजा अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—10—2011 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् यह पाये जाने पर कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि अलग से जमाबन्दी एवं नक्शें में तरमीम है, तथा अन्य खसरा नम्बरान् की भूमि पर आज दिनांक को अभिलेख के अनुसार अपीलांट् का कोई हक नहीं बनने व तरमीम सही हुई है या गलत, भूमि कौनसी वास्तव में बेची गई है, ये प्रश्न वादपत्र में निर्णित होने है, के आधार पर अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि सम्म्त् तरीके से खारिज किया गया है। अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं होने से अपीलांट् रेस्पोडेन्ट् की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के रेस्पोडेन्ट्स की अन्य भूमि से किसी प्रकार से हित प्रभावित हो रहे है, साबित करने में असफल रहे है। अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित हो कि अपीलांट् द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम देज़रासर के खेत खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107, 108, 700 में से हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के पुराने खेत खसरा नम्बर 510/70 तादादी 41 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से अपीलांट् की खरीदशुदा 5 बीघा भूमि 5 के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 14—10—2011 के माध्यम से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट् का प्रस्तुत अपील के माध्यम से मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त भूमि की गलत तरमीम होने से रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट् को उसकी खरीदशुदा भूमि से खुर्द—बुर्द करने पर अमादा है। प्रकरण में हमन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य एवं आदेश जैर अपील का अवलोकन किया। अपीलांट् द्वारा खरीद की गई भूमि ग्राम देराजसर के खेत खसरा नम्बर 510/70 में से क्रय की गई है, उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर क्या पैमूद हुए है, इस संबंध में अपीलांट् द्वारा मिलान क्षेत्रफल अथवा सूची नम्बर चार अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट् खेत खसरा नम्बर 510/70 में से क्रय की गई भूमि ग्राम देजरासर के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107, 108, 700/109 में ही निहित हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही यह पाये जाने पर किस अपीलांट् की खातेदारी भूमि अलग से जमाबन्दी एवं नक्शें में तरमीम है, उक्त तरमीम सही हुई है या गलत ? उक्त तथ्य का निर्धारण वादपत्र पर तय होना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की खरीदशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का पात्र अपीलांट् को नहीं माना गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से ऐसा कोई नवीन तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि की गई हो, न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं होती है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 8/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर